A-ज्ञार्थ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या – 79/2020 पीठासीन अधिकारी – अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

अनवान

1 कैलाश पिता गोपाल नाई उम्र वयस्क निवासी ईटडिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
2 दीपक पिता गोपाल नाई उम्र वयस्क निवासी ईटडिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
3 पार्वती पत्नि गोपाल नाई उम्र वयस्क निवासी ईटडिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
4 राजेश पिता गोपाल नाई उम्र वयस्क निवासी ईटडिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
5 रामकिशन पिता रंगलाल नाई उम्र वयस्क निवासी ईटडिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
6 रामरतन पिता सुखदेव नाई उम्र वयस्क निवासी ईटडिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
7 सत्यनारायण पिता गोपाल नाई उम्र वयस्क निवासी ईटडिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.

————————(प्रार्थीगण)

बनाम

1 मोडू पिता कल्याण कीर उम्र वयस्क निवासी ईटडिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
2 मेवा पिता हरजी कीर उम्र वयस्क निवासी ईटडिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
3 महावीर पिता गुलाबचन्द पाटनी उम्र वयस्क निवासी ईटडिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
4 गोपाल पिता बन्ना माली उम्र वयस्क निवासी ईटडिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
5 रामकिशन पिता पन्ना जाट उम्र वयस्क निवासी ईटडिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
6 जीवराज पिता मिश्री जाट उम्र वयस्क निवासी ईटडिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
7 कालू पिता गोकुल लौहार उम्र वयस्क निवासी ईटडिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.

————————(अप्रार्थीगण)

उपस्थित–

प्रार्थी अधिवक्ता– श्री सुनील कुमार शर्मा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

निर्णय

दिनांक – 01.04.2021

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनांक 07.09.2020 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम ईटडिया पटवार मण्डल ईटडिया भू.अ.नि. अरवड तहसील फुलियाकंला** मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 290 के **आराजी संख्या 1447, 1448 किता 2 रकबा 2.24 हैक्टेयर भूमि** स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 07.09.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके **ग्राम ईटडिया पटवार मण्डल ईटडिया भू.अ.नि. अरवड तहसील फुलियाकंला** मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 290 के **आराजी संख्या 1447, 1448 किता 2 रकबा 2.19 हैक्टेयर (रकबा 0.05 हैक्ट. गै.मु.पाल** [illegible]**)** भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक अरवड को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिवस पूर्व पक्षकारान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी भी न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावें। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
फुलियाकंला, जिला भीलवाडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2021.06.29 13:43:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned By Scanner Go